सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 129/14 शीर्षक राजेन्द्र कुमार .... बनाम चन्द्रसिंह

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
18/1/18	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि० उप० अधि० प्रतिवादी ने प्रश्न 07 नि। के तहत प्रस्तुत किया कि वादी ने ग्राम कोठिया के खसरा नं 2265/1066 रकबा 2-11 बीघा भूमि मेसे बलवन्त सिंह पिता रंग लाल महाजन का 23/102 वा हिस्सा रेकर्ड मे अंकित रहा। जिसमा उन्होने दिनांक 13/2/93 को प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी मे से 60x40 कॉमर्शियल भूमि ₹ 6000/- मे विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया और इस संबंध में प्र० प्र० 2 के पक्ष मे बलवन्तसिंह ने एक इकरार पत्र निष्पादित किया। उक्त भूमि पर प्र०प्र० 2 रामेश्वर सिंह ने खरीद शुदा भूखण्ड के चारो और खरीदने के दो माह बाद पक्की चारदीवारी बनाई इस के दक्षिण मे प्र० प्र० 2 के आधिपत्य कि भूमि स्थित है जिसके दक्षिण मुखी दो दुकाने व लोहे कि फाटक लगाई जो दक्षिण कि तरफ नाथद्वारा जाने वाली सड़क पर स्थित है। वादी ने प्र० प्र० 2 के पक्ष मे भूखण्ड विक्रय करने कि जानकारी होते हुए भी बलवन्त सिंह से वादी ने बलवन्त सिंह से अपने पक्ष मे विक्रयपत्र निष्पादित करवा लिया उक्त विक्रयपत्र से वादी प्र० प्र० 2 के आधिपत्य के भूखण्ड का कब्जा प्राप्त नही हुआ है वादी को सारी जानकारी होते अवैध रूप से प्र० प्र० 2 एवं प्र०प्र० 1 से आधिपत्य प्राप्त करने के लिये वाद बाबत व्यादेश निषेध एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जिसके प्र० प्र० 01/2012 रेवाड़ राजेन्द्र कुमार बनाम
28	चन्द्रसिंह व अन्य मूल दोनो प्रकरण सम्बन्धित

ट्रेट रेलमगरा, जिला–रा[...] सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

बनाम ...[illegible]... – 123/14 वाद शीर्षक .... बनाम ....

	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
अधि० अप०।	समान है वाद कि विषय वस्तु भी समान है।	
के तहत प्रस्तुत	प्रतिवादी द्वारा जब वादी को उक्त इकरार के	
के अधि० नं०	आधार पर सन 1993 से होने के तथ्य की	
मे से बलवन्त	जानकारी हो वादी ने प्रतिवादीगण को अपनी	
23/102 का	गलती स्वीकार करते हुए कहा कि गलत	
जिसमें उन्होंने	रूप से विक्रयपत्र निष्पादित हो गया तो	
संख्या 2 को उक्त	वादी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए	
भूमि ₹600/-	प्र०प्र० 2 को आश्वासन दिया कि उक्त भूमि को	
दिया और इस	वादी एवं बलवन्त सिंह प्र०प्र० 2 के पक्ष में	
बलवन्तसिंह	शीघ्र ही पंजीयन करा विक्रय पत्र निष्पादित	
किया। उक्त भूमि	करा देगें। एवं अधिपत्य प्र०प्र० 2 के पास ही है	
खरीद शुदा भूखण्ड	इसी आधार पर वादी ने वाद संख्या 01/12	
माह वाद पत्र की	को जोर पेश कर खारिज करवा दिया यानि	
में प्र०प्र० 2	वादी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध मे कोई	
जिसके दाखिल	कार्यवाही नही करना चाहा और अपनी	
कारण लगाई	जो राय थी व अपने अधिकार थे उन्हें	
य जाने वाली	वेव कर दिया। जो आदेश 2 नियम 2 के	
प्र०प्र० 2 के पक्ष	जहां वादी अपने अधिकारों को वेव कर देता है	
जानकारी होते	तो उन्ही आधारो पर वादी नया वाद	
दी ने बलवन्त	प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही रखता है	
पत्र निष्पादित	उक्त वादी का वाद विधि से बाधित होने	
से वादी प्र०प्र०	के कारण वाद चलने योग्य नही होकर	
कब्जा प्राप्त	खारिज योग्य है। जहां वादी का पूर्ववर्ती	
जानकारी होते	वाद खारिज हो चुका है पुन उन्ही आधारो	
से अधिपत्य	पर नया वाद प्रस्तुत किया है जो धारा 11	
चाई निषेधा	सीपीसी के प्रावधानो के तहत रेसज्युडिकेटा से	
प्रस्तुत किया	बाधित होने वाद सव्यय निरस्त किया	
मेंदकुमार बनाम	जावे। उक्त प्रा०पत्र के जवाब मे वादी	
[illegible]	ने खण्डन किया कि विवादित भूमि मे P.T.O.	

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	बलवन्त सिंह का 23/102वां हिस्सा राज
	रिकॉर्ड मे अंकित था। जिसमे से 60×
	कथित भूमि ₹ 600/- मे प्र०प० 2 ने
	13/2/1993 को क्रय की एक इस प्रकार की
	जानकारी वादी को रही है एवं इसी का
	उसने प्र० प०01/2012 रेवार राजेन्द्र कुमार
	चन्द्रदीप सिंह को मोरगेज कर स्थापित
	करवा दिया इसलिये 02R2 CPC के आधार
	पर उसका वाद बाधित है तथा धारा 11
	के प्रावधानो के तहत रेसज्युडिकेट से
	बाधित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि
	07R11 का आपत्ति वादी के अभिवचनो के
	आधार पर तय किया जाता है न कि
	कि किसी प्रतिरक्षा के आधार पर वादी के
	वाद के अभिवचनो के अनुसार उसका
	वाद किसी प्रकार से विधिबाधित नही
	जहां तक पूर्व वाद का संबंध है वह वाद
	केवल निषेधाज्ञा के अनुतोष के सम्बंध
	था तथा निषेधाज्ञा के वाद में स्वत्व
	नही देखा जाता है बाबा इसकी के सिर्फ
	कब्जा देखा जाता था। वादी द्वारा दावा
	इस कारण प्रस्तुत किया गया था कि प्रति
	द्वारा उसे बेकब्जा करने की धमकियां
	जा रही थी। दावा दायर किये जाने एवं
	पुलिस मे प्रतिवादी की शिकायत किये जा
	से प्रतिवादी ने वादी आश्वासन कर दिया
	कि वह अब भूमि मे किसी प्रकार से
	प्रवेश नही करेगा। इसलिये वादी ने अपना
	वाद दायर किया था। कब्जे बाकी का दावा

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

संख्या – 129/14 वाद शीर्षक .... बनाम ....

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
तक प्रस्तुत किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा नाजायज रूप से किसी भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो। प्रतिवादी ने दावा दायरी के 4 माह पूर्व कब्जा कर लिया था इसलिये उसे कब्जा प्राप्त करने का यह दावा प्रस्तुत करना पड़ा ऐसी स्थिति मे O2R2 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण मे लागू नही होते है दोनो प्रकरणो कि प्रकृति एवं वाद हेतुक तथा अनुतोष भिन्न-2 है तथा जहां तक धारा 11 CPC के अनुसार रेसज्यूडिकेटा तब लागू होता है जब समान पक्षकारो के मध्य समान वाद हेतुक पर समान अनुतोष के लिये कोई वाद प्रस्तुत किया हो उस वाद मे वही विवाधक हो जो पश्चातवर्ति वाद है उस विवाधक पर पूर्ववर्ति वाद मे गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित किया गया हो लेकिन यह स्वीकृत स्थिति है कि पूर्व के वाद में न तो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ न विवाधक कायम हुए न ही गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित हुआ ऐसी स्थिति मे रेसज्यूडिकेटा की स्थिति भी इस वाद पर लागू नही होती है प्रतिवादी ने लम्बे समय से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। जिसके बचाने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन मे उठाये गये सभी तथ्य विधि के मिश्रित प्रश्न है प्रतिवादी चाहे तो एतराज अपने जवाबदावे मे उठाने के लिये स्वतन्त्र है जिस पर विवाधक कायम कर निर्णय पारित किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी का	

सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–

प्रकरण : संख्या – 129/14 शीर्षक .... बनाम ....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	का प्रा०पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। एवं व्यवहारिक की अवसर छूट किया जावे। अधिवक्ता पक्षकारान कि बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया तो जाहिर आया कि वादी द्वारा अपने पूर्व वाद को मोरफेज में खारिज कर दिया गया। जिसमें पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर खारिज कराया गया तथा पुन इन्ही पक्षकार एवं इन्ही आधार पर नया वाद लाया गया है जो धारा 11 के प्रावधानो के तहत रेस ज्युडिकेटा से बाधित है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा०पत्र 07R11 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियत से जमा कि जावे।
	(हस्ताक्षर)
	सहायक कलकटर (उपखण्ड अधिकारी)